

उनवान : शोभाराम बनाम महेन्द्र कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की तामिल
में जारी हुये

22/10/24

बकुलाय उप. आज पीठासीन
अधिकारी ~~...~~ में पधार
है। पत्रावली दिनांक ~~...~~
को पेश हो।

31/11/24

बकुलाय उप. आज पीठासीन
अधिकारी ~~...~~ में पधार
है। पत्रावली दिनांक ~~...~~
को पेश हो।

14/12/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता (आरपी उप.)
आरपी अधिवक्ता ने मूल पत्रावली में बदली हेतु
नोटिस मरका पेश किंगे जो जारी होकर पत्रावली
मूल पत्रावली के साथ दिनांक 21/01/2025 को
पेश हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली (पाली)

21/01/2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता (आरपी उप.)
पत्रावली मूल पत्रावली के साथ दिनांक 19/02/2025 को
पेश हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली (पाली)

19/02/25

बकुलाय उप. आज पीठासीन
अधिकारी ~~...~~ में पधार
है। पत्रावली दिनांक ~~...~~
को पेश हो।

17/03/2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता (आरपी एवं अग्रणी संख्या
06 व 07 उप.) पत्रावली मूल पत्रावली के साथ अग्रणी
दिनांक 07/04/2025 को पेश हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

07/04/25

~~पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता (आरपी एवं अग्रणी संख्या
06 व 07 उप.) पत्रावली मूल पत्रावली के साथ अग्रणी
दिनांक 07/04/2025 को पेश हो।~~

रथगन प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 54/2023
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख
हुकम

~~अन्तर्गत के (मापी) निषेधाज्ञा भी जारी
नहीं की हुई है (अतः अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान
की कालातिक अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान
संख्या 54/2023 के (Instructions)
हो चुका है अतः विद्या (अधीन अन्तर्गत
- अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान के
अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान के पुनः पेश
करने का आदेश जारी किया जा रहा है
जाता है अतः अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान के
आदेश जारी किया जा रहा है~~

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली